निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-124/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.01.2019 से 16.01.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2017 से 16.06.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	16967.62
2016-17	21856.09
2017-18	26196.52

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	194.90	170.85	-	24.05
2016-17	-	-	-	-	232.50	202.96	-	29.54
2017-18	-	-	-	-	252.00	248.85	-	03.15

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त - वित्त नियंत्रक - संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - आबकारी निरीक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला हरिद्वार, लेनदेन लेखापरीक्षा** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह जून-2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-01 दंडक ब्याज वसूल न किए जाने से ₹ 14.53 लाख राजस्व क्षति|

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19 मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(7) मे यह प्रावधान किया गया कि यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता हैं तो उसे मदिरा दुकान का अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के अभिकर के बराबर हो को सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारंटी की धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा | पुनः नियम -2 के अनुसार मदिरा दुकानों की लाइसेन्स फीस निर्धारण फुटकर दुकानों की लाइसेन्स फीस नियम -1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के क्रमश : 8 % के बराबर निकटतम रुपए 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जाएगी | रुपए 25 लाख से अधिक लाइसेन्स फीस होने की स्थिति मे रु 25.00 लाख व्यस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किस्तों मे माह सितम्बर 2017 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी ।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 के द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 38क "आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज" में प्राविधानित है कि जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न किया गया हो, वहाँ चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाए, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगताने के दिनांक तक देय होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई उच्च दर विहित न की जाए तो तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(अ) देशी मदिरा की दुकान सी-37 बहादराबाद -2 अनुज्ञापि द्वारा अनुज्ञापन शुल्क, प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति को समय से जमा नही किया गया था संलग्न तालिका-1 के अनुसार अनुज्ञापन शुल्क पर रु 239119/- प्रथम प्रतिभूति पर रु 661418 /- तथा द्वितीय प्रतिभूति पर रु 607108/-दण्डक ब्याज देय था , अतः कुल रु 1507645/- देय दंडक ब्याज के विरूद्ध मांग रू 720823 जमा था रू 7,86,822 की वसूली न किये जाने से राजस्व की क्षति हुई।

(आ) जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि विदेशी मदिरा दुकान बहादराबाद -2 संलगन तालिका -1 लाइसेन्स फीस, प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति को समय से जमा नहीं किया गया था जिस पर नियमानुसार दंडक ब्याज रु 10,65,881/-की वसूली की जानी थी परंतु विभाग ने मात्र रु 4,00,000 /- ही जमा कराये | इसप्रकार रु 6,65,881/- के दंडक ब्याज की कम वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश ,2002)(संशोधन)विधेयक ,2018 के द्वारा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम ,1910 (सं 0 प्रा 0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910)(उत्तराखंड राज्य मे यथाप्रवृत) की धारा 38 क " आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज मे प्रविधानित हैं कि जंहा किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न किया गया हो वहाँ 24 % प्रति वर्ष कि दर से अनधिक दर पर ,जैसे विहित की जाए ,ब्याज ऐसी आबकारी राजस्व के देय होने की दिनांक से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक देय होगा, के नियम का जिक्र करते हुये नियमानुसार दंडक ब्याज जमा करने हेतु विभाग ने देशी मदिरा दुकान पर रू 6,61,240 तथा विदेशी मदिरा दुकान पर रू 297186 कुल रू 958,426 अवशेष दण्डक ब्याज स्वीकार करते कहा की वसूली की कार्यवाही गतिनाम है विभाग का उत्तर मान्य नहीं है उक्त धारा 38 (क) में स्पष्ट प्रावधान है कि देय राजस्व अर्थात अनुज्ञापन शुल्क, प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति निर्धारित समय से नहीं जमा करने पर ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने की दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा अत: उक्त प्रकरणों में भी पूर्ण ब्याज देशी मदिरा दुकान पर रू 786822/- तथा विदेशी मदिरा दुकान पर रू 665881/- कुल रू 1452703 आरोपणीय था।

अत: रू 14,52,703 के राजस्व क्षति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

तालिका - 1

देशी मदिरा दुकानसी-37 बहादराबाद -2 पर विलंब से लाइसेन्स फीस ,प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

अनुज्ञापन तिथि -01-06-2017

लाइसेन्स फीसजमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज @ 18%
137000	1.6,17	1.6.17	-	-
19,84,000	1.6,17	6.6.17	6	5871
379400	1.6,17	7.6.17	7	1309
1545667	.7.17	7.12.17	129	95425
1545666	.8 .17	11.12.17	133	2995
1545666	9.17	11.12.17	102	77750
		14.12.17	72	33577
			75	22192
			लाइसेन्स फीस की कुल दंडक ब्याज	**239119**

प्रथम प्रतिभूति जमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज@ 18%
2000000	6.6,17	30.8.17	61	60165
1000000	6.6,17	21.9.17	106	52274
707200	6.6,17	19.12.17	195	68008
500000	6.6,17	1.1.18	208	51288
200000	6.6,17	30.12.17	206	20318
1000000	6.6,17	6.1.18	213	105041
500000	6.6,17	9.1.18	216	53261
500000	6.6,17	12.1.18	219	54000
1800000	6.6,17	15.1.18	222	197063
	प्रथम प्रतिभूति की कुल दंडक ब्याज			661418

द्वितीय प्रतिभूति जमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज@ 18%
8207200	30.6,17	27.11.17	150	607108
	द्वितीय प्रतिभूति की कुल दंडक ब्याज			607108

देय कुल दंडक ब्याज =239119+661418 +607108 =1507645

जमा ब्याज =720823

शेष =786822

तालिका - 2

बहादराबाद -2 विदेशी मदिरा दुकान पर लाइसेन्स फीस पर देय दण्डक ब्याज

अनुज्ञापन तिथि - 01.06.2017

लाइसेन्स फीसजमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
5,16,000	1.6,17	1.6.17	-	-
19,84,000	1.6.17	6.6.17	5	6165
1578400	31.7.17	13.11.17	103	177355
1578300	31.8.17	13.11.17	72	56041
1578300	30.9.17	13.11.17	42	32691
	लाइसेन्स फीस की कुल दंडक ब्याज			272252

प्रथम प्रतिभूति जमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
5027710	7.6,17	17.7.17	40	99177
2000000	7.6.17	19.7.17	42	41425
500000	7.6,17	24.7.17	47	11590
792250	7.6,17	23.08.17	77	30084
36	7.6,17	7.12.17	183	4
	प्रथम प्रतिभूति की कुल दंडक ब्याज			182288

द्वितीय प्रतिभूति जमा राशि	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
8319996	30.6.17	27.11.17	149	611349
	द्वितीय प्रतिभूति की दंडक ब्याज			611349

कुल दंडक ब्याज =272252 +182288 +611349 =1065881/-

विभाग द्वारा वसूली =400000

शेष =665881

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-1 आवेदन पत्र की बिक्री पर कर वसूल न किए जाने से राजस्व कमी रु 148.03 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यौहारी (dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोवार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय ,विक्रय का कारोवार करता है। इस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा 4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची मेँ सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

उत्तराखण्ड शासन, आवकारी अनुभाग की अधिसूचना स°-260/XXIII/2017/04(01)/2017 देहारादून दिनांक 19-05-2017 के बिन्दु स° 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 25000/- एवं देशी के लिए 22,000/-आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था। जो वापसी योग्य (Non-Refundable) नहीं था।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों मेँ वर्ष 2017-18 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मेँ पाया गया की विदेशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु 3114 ,देशी मदिरा दुकान हेतु 1124 ,एवं मिश्रित दुकान हेतु 283 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 109653000/= को लेखाशीर्ष 0039- राज्य उत्पादन शुल्क, 800- अन्य प्राप्तियाँ, 05- आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। उक्त धाराओ के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु109653000/= पर 13.5% की दर से रु 148,03,155/= कर राजकोष मेँ जमा किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

विभाग के संझान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया किउक्त बिक्री पर कर जमा नहीं किया गया हैं

अत: उक्त राजस्व की कमी रु148.03लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 2 प्रतिभूति एवं दंडक ब्याज का जमा न कराया जाना ₹ 6.77 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19 मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(7) मेयह प्रावधान किया गयाकि यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता हैं तो उसे मदिरा दुकान के अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति कि धनराशि जो कि एक माह के अभिकर के बराबर हो का सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारंटी कि धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा |

जिला आबकारी हरिद्वार के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि देशी मदिरा कि दुकान सलेज़फ़ोर्म –सी-59 की दुकान वर्ष 2017-18 (1.6.17से 31.3.18 तक) हेतु लॉटरी पर्ची संख्या 1113 से श्री महक सिंह को आवंटित की गयी थी अनुज्ञापन शुल्क रु 7167000/- वार्षिक निर्धारित प्रत्याभूत अभिकर रु 82415577 /- कुल राजस्व रु 8,95,82,577/-निर्धारित की गयी थी परंतु अनुज्ञापि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर लाइसेन्स फीस मात्र 25 लाख रुपए 17.06.2017 तक जमा कराया गया था एवं प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति जमा नहीं कराई गयी थी जबकि उसके द्वारा 17.07.2017 तक उठान किया गया था | जबकि उसको अंतिम नोटिस 9.10.2017 को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी गई थी | दिनांक 27.11.2017 से 56 % पर दैनिक आधार पर दुकान 9.1.18 तक चलाई गयी थी तत्पश्चात दिनांक 9.1.18 से 31.3.18 तक दुकान श्री विनीत कुमार आवंटित रु 14622863/- मे आवंटित की गयी थी इसप्रकार उक्त दुकान से 32945550/- ही प्राप्त हो सका था ,विभाग द्वारा नियमानुसार कार्य न किए जाने के कारण रु 56637027/- की ब्याज की वसूली न हो पायी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्यालय के पत्र संख्या 569 दिनांक 18.7.2017 का उल्लेख करते हुए कहा गया की स्थानीय विधायक द्वारा दुकान को खुलने नहीं दिया गया था एवं व्यवस्थापित राजस्व मे हुई क्षति को अनुज्ञापि से वसूली प्रमाण पत्र के संबंध मे तहसीलदार से वसूली के प्रगति के संबद्ध मे पत्र की प्रति संलग्न हैं, वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार अनुज्ञापी पर ₹6.77 करोड़ (5.55+1.21) की R.C जारी की गयी थी लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त वसूली लम्बित थी।

अत: ₹ 6.77 करोड़ की लम्बित वसूली का प्रकरण उच्चअधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 3 नियमो का अनुपालन न किये जाने से राजस्व कमी रु 1.63 करोड़ |

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19 मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(7) मेयह प्रावधान किया गया कि यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता हैं तो उसे मदिरा दुकान के अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति कि धनराशि जो कि एक माह के अभिकर के बराबर हो का सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारंटी कि धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा |एवं नियम 43 मे यह प्रावधान किया गया हैं की प्रदेश की शहरी स्थानीय निकाओ को छोडकर शेष स्थानो पर देशी व विदेशी मदिर की मिश्रित दुकाने आवश्यकता पड़ने पर आबकारी आयुक्त के अनुमोदन पश्चात खोली जा सकती हैं

जिला आबकारी हरिद्वार के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि मिश्रित मदिरा की दुकान लक्सर को श्री अमित सैनी रूड़की हरिद्वार को आवंटित की गयी थी अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2480000/- निर्धारित प्रतिभूति अभिकर 28515207/- कुल राजस्व 30995207 निर्धारित था | परंतु अनुज्ञापि द्वारा निर्धारित प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति समय सीमा के भीतर नहीं जमा कराया गया था उक्त दुकान को दिनांक 7.2.18 जिलाधिकारी के आदेश से निरश्त किया गया था उक्त दुकान को खोलने मे वर्ष 2017-18 आबकारी नीति के नियम -43 का उल्लघन किया गया था जिसकी आपत्ति स्थानीय निवासीओ द्वारा जिला आधिकारी हरिद्वार को संबोधित पत्र दिनांक 27.7.2017 से किया था | उक्त दुकान का वर्ष 2017-18 मे निर्धारित राजस्व 53921820/- थी व्यवस्थापित राजस्व 70 % पर रु 30995207/- था | विभाग द्वारा नियमो का अनुपालन न किएन जाने के कारण रु 16285344/- की वसूली नहीं हो सकी थी , जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही कि जा रही हैं एवं नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित दुकान के संबंध मे आबकारी आयुक्त से अनुमोदन पत्र का उल्लेख किया गया हैं। विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ₹1.72 करोड़ का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसकी वसूली लम्बित है

अत: ₹1.63 करोड़ की वसूली लम्बित है प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 4 मासिक अभिकर पर दंडात्मक ब्याज का अनारोपण रू 10,61,389/-

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम-2 के अनुसार मदिरा दुकानों कि लाइसेन्स फीस निर्धारण फुटकर दुकानों की लाइसेन्स फीस नियम -1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के क्रमश : 8 % के बराबर निकटतम रुपए 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जाएगी | रुपए 25 लाख रुपए से अधिक लाइसेन्स फीस होने के स्थिति मे रु 25.00 लाख व्यस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किस्तों मे मे माह सितम्बर 2017 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी । साथ ही साथ नियम -3 के अनुसार उपरोक्त नियम -1 के अंतर्गत दुकानदार निर्धारित कुल राजस्व मे से नियम -2 के अंतर्गत निर्धारित लाइसेन्स फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी निर्धारित की जाएगी | निकासी हेतु वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा प्रति बल्क लिटर तथा विदेशी मदिरा प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रतिभूति ड्यूटी की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी |

जिला आबकारी हरिद्वार के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि बहदराबाद विदेशी एवं बहदराबाद देशी मदिरा दुकान द्वारा मासिक अभिकर देरी से जमा किया गया था। देरी से जमा अभिकर पर देडात्यामक ब्याज की गणना संलग्न तालिका के अनुसार रू 1061389/- का दंडात्यामक ब्याज वसूल करना था जो नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा अभिमत पर स्वीकारोक्ति करते हुए उत्तर में बताया कि उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 के द्वारा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत) की धारा 38 क "आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज में प्रविधानित हैं कि जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न किया गया हो वहा 24% प्रति वर्ष कि दर से अनधिक दर पर, जैसे विहित कि जाय, ब्याज ऐसी आबकारी राजस्व के देय होने के दिनां के वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा, परंतु प्रतिबंध यह हैं की जब कोई उच्च दर विहित न की जाय तो तब तक ब्याज की दर 18% प्रतिवर्ष होगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दुकानों का राजस्व वर्ष के प्रारम्भ में ही लौटरी के समय निर्धारित कर दी जाती है जिसे मासिक अभिकर के रूप में लेते हुए मदिरा निकाली (उठान) अनुमन्य किया जाता है। बकारी नीति 2017-18 में कही पर भी ऐसी छुट का प्रावधान नहीं किया गया है विभाग अन्य सभी प्रकरणों में प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिए दंडात्मक ब्याज वसूल कर रहा था मासिक अभिकर निर्धारित समय से न जमा होने पर प्रथम दिन से ही दंडक ब्याज देय था रू 1061389/- दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाना था। दंडात्मक ब्याज आरोपित कर वसूल न किए जाने से रू 1061389/- के राजस्व हानि हुई।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-05 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूदलाईसेंस फीस जब्त न किया जाना `906.12 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19मई2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(3) मेयह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवटन अनुज्ञापी के जोखिम TheUttarakhand Excise(settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारीहरिद्वारके अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18मे जनपद केदेशी , विदेशीएवं मिश्रित मदिरा के अनुज्ञापियों (संलग्नक के अनुसार) द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे।अत विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस लाख, वर्ष 2017-18 (संलग्नक-1) मे सरकार के पक्ष मे जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना चाहिए था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर लाइसेन्स हेतु जमा धनराशि एवं प्रतिभूति जमा धनराशि को जब्त किए जाने की कार्यवाही नही की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया किइसप्रकार घोषित आबकारी नीति के नियम -16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि मे आवश्यक आउपचारिकताए पूर्ण नहीं हो सकी यहा यह भी अवगत करना हैं कि उपरोक्त परिस्थितियो के दृष्टिगत मात्र औपचरिकताए पूर्ण न होने के कारण दुकान का आवंटन निरस्त करने पर राजस्व कि क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता था ।विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि लाइसेंस निरस्त न किए जाने के संबंध मे शासन से कोई आदेश निर्गत नही किया गया था। अत विभाग को अनुज्ञापियों का लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमा लाईसेन्स फीस व अन्य राजस्व जमा जब्त किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एन.आर जोगी	अप्रैल, 17 से 10.01.18 तक
(ii)	श्री श्री प्रशान्त कुमार	10.01.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र